



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़  
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/ 23 42

नया रायपुर, दिनांक 22/12/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर

विषय :-

**Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Marwahi Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 1.928 ha. regarding.**

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/42623/2019

- संदर्भ:-
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-25/ 2020/ 10-2 दिनांक 09.11.2020
  2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 2815 दिनांक 02.12.2020

\*\*\* \*\*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र -1 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।


उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	आवश्यक जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 5 से 7 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 57 टूकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आबंटित किया गया है। इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है। उक्त आवेदित (भाग-II) में आवेदित उक्त वनभूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर तालिका अनुसार प्रदाय करें।	आवेदित वन भूमि का रकबा / कक्षवार विवरण निर्धारित तालिका में संलग्न है। <b>परिशिष्ट-1</b>
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 8 में गैर वन क्षेत्र का रकबा 11.518 हे. दर्ज किन्तु विवरण नहीं दिया गया है।	गैर वन क्षेत्र का रकबा 11.518 हे. का विवरण निर्धारित तालिका में संलग्न है। <b>परिशिष्ट -2</b>
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 27 से 29 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायति भाग-2 के अनुक्रमांक 7 में (प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा	वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायति भाग-2 के अनुक्रमांक 7 में (प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक

	प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश) में DFO द्वारा कोई टीप/अनुशंसा नहीं की गई है।	की विशेष सिफारिश) में वन मंडलाधिकारी द्वारा की गई है <b>परिशिष्ट -3</b>
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 35 में वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक नहीं लेख किया गया है।	वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक का उल्लेख कर संलग्न है। <b>परिशिष्ट -4</b>
5	बिन्दु क्रमांक 21 में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश के 6-175/ 2017 WL, दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करें। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल के प्रकरणों अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है।	प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 21 में व.म.अं मरवाही व.मं. के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में प्रभावित 1.825 हे. का भूमि एवं 0.103 हे. राजस्व वन भूति कुल 1.928 हे. वन भूमि प्रव्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है जो किसी वन्य प्राणी परियोजनान्तर्गत नहीं आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्र.मु.व.स (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।


संलग्न:- संदर्भित पत्र एवं जानकारी (15 पृष्ठीय)

  
(सुनील मिश्रा)  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 822/2343  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 22/12/2020

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मंडल, मरवाही, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)  
0/L छत्तीसगढ़



# कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2815

बिलासपुर, दिनांक 02-12-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय : Diversion of Forest land for non-forest pupose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Marwahi Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPs & 85 Blocks through optical fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the State", Area - 1.928 ha. Regarding.  
पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42623/2019

संदर्भ : आपका पत्र क्र./विविध/2103 दि. 26.11.2020 एवं व.म.अ. मरवाही का पत्र क्र./तक./1137, दि. 26.11.2020

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS), द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत BharatNet Phase-II Marwahi Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the States", हेतु कुल क्षेत्र 1.928 हे. मरवाही वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में वांछित 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	आवश्यक जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 5 से 7 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 57 टूकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आबंटित किया गया है। इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है। उक्त आवेदित (भाग-II) में आवेदित उक्त वनभूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर तालिका अनुसार प्रदाय करें।	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 5 से 7 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 57 टूकड़ों में है जिसका विवरण स्थलवार संलग्न है। अनलग्नक-1
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 8 में गैर वन क्षेत्र का रकबा 11.518 हे. दर्ज किन्तु विवरण नहीं दिया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 8 में गैर वन क्षेत्र का रकबा 11.518 हे. दर्ज किन्तु विवरण संलग्न है। अनलग्नक-2
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 27 से 29 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायति भाग-2 के अनुक्रमांक 7 में (प्रस्ताव को स्वीकृत करने	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 27 से 29 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायति भाग-2 के अनुक्रमांक 7 में (प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा


विविध D:\All Office\CCF\FCA\1.928 Ha. jlo.docx

8961

22/12/2020

	अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश) में DFO द्वारा कोई टीप/अनुशंसा नहीं की गई है।	प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश) में DFO द्वारा की गई टीप/अनुशंसा संलग्न है। अनलग्नक-3
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 35 में वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक नहीं लेख किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 35 में वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक उल्लेखित किया गया है।


संलग्न - वनमण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन।

  
मुख्य वनसंरक्षक  
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

बिलासपुर/दिनांक 03/12/2020

पृ. क्र./तक./ 2816  
प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाइन रायपुर छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।

  
मुख्य वनसंरक्षक  
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

## TimeLine Details

Proposal received date at each stage of flow.

### A. General Details

(i). Proposal No. : FP/CG/OFC/42623/2019

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : BharatNet Phase-II Marwahi\_Division

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Optical Fibre Cable

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Area of forest land proposed for diversion(In ha.): 1.928

### B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming(If any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading(by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage-I Approval on	Stage-II Approval on
FP/CG/OFC/42623/2019	30/11/2019	an		11/12/2019	17/12/2019	Marwahi	Bilaspur(CG)	Chhattisgarh	Chhattisgarh:			
						24/12/2019	07/08/2020 (Marwahi)	14/08/2020	16/09/2020			

### C. Essential Details Sought History.

Communication between Regional Officer & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency
	Query raised by State Government (Chhattisgarh) on:11/11/2020	Query raised by Nodal Officer (Chhattisgarh) on:27/11/2020 Replied by Circle(Bilaspur(CG)) on:03/12/2020		

NOTE:- Proposal is pending at Nodal Officer due to EDS raised by State Government.

  
Chief Conservator of forest  
Bilaspur circle, Bilaspur (C.G.)

Stamp

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल, पेण्डारोड (छ.ग.)

Ph.No. 07751-221000

E-Mail Id- dfo-marvahi.cg@gov.in. dfomarvahi@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. /  
प्रति,

पेण्डारोड, दिनांक / / 11 / 2020

मुख्य वन संरक्षक,  
बिलासपुर वृत्त  
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Marwahi Division BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32466 KM will involve 26 districts across the State, area - 1.928 ha, - regarding  
पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/42623/2019

संदर्भ :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पृ.क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/1837 दि. 16.10.20
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त का पृ.क्र./तक.अधि./6448 दिनांक 20.10.2020
3. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./मानेप्रो-11/वनभूमि/प्रस्ताव/2019-20/110-5A दिनांक 09.11.2020

—00—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र 01 के माध्यम से चाही गई 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार

बिन्दुवार सादर सम्प्रेषित है :-

क्र.	बिन्दु	चाही गई जानकारी का विवरण
1	आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 से 7 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 57 टुकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है। उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर तालिका अनुसार प्रदाय करें।	आवेदित संस्थान से प्राप्त कर तालिका अनुसार कक्षवार एकजाई जानकारी संलग्न है। (प्रदर्श-अ)
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 8 में गैर वन क्षेत्र का रकबा 11.518 हे. दर्ज किन्तु विवरण नहीं दिया गया है।	आवेदक संस्थान से प्राप्त गैर वन क्षेत्र रकबा 11.518 हे. का विवरण संलग्न है। (प्रदर्श-ब)
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.27 से 29 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित भाग -2 के अनुक्रमांक 7 में (प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश) में DFO द्वारा कोई टीप/अनुशंसा नहीं की गई है।	वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित भाग-2 के अनुक्रमांक 7 में DFO द्वारा टीप अंकित की गई है जो संलग्न है। (प्रदर्श-स)
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.35 में वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक नहीं लेख किया गया है।	वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक अंकित कर संलग्न है। (प्रदर्श-द)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
वनमण्डलाधिकारी

मरवाही वनमण्डल पेण्डारोड

पृ.क्रमांक/तक.अधि./1138

पेण्डारोड,दिनांक/26/11/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (गू-प्रबंध) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
2. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वास्तो संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*N.C.P.M.*  
वनमण्डलाधिकारी

श्रीरवाही वनमण्डल, पेण्डारोड  
*an*

गौरेला-पेंडा-मरवाही जिला के मरवाही वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत आवेदित वन क्षेत्र का विवरण

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गौरेला-पेंडा-मरवाही	मरवाही	मरवाही	ऐटी	संरक्षित वनभूमि	1984	373.618	0.5	0.019
2			मरवाही	ऐटी	संरक्षित वनभूमि	1985	817.715	0.5	0.041
3			मरवाही	ऐटी	संरक्षित वनभूमि	2024	854.619	0.5	0.042
4			मरवाही	ऐटी	संरक्षित वनभूमि	2062	238.49	0.5	0.012
5			मरवाही	धोबहर	संरक्षित वनभूमि	1971	217.175	0.5	0.011
6			मरवाही	धोबहर	संरक्षित वनभूमि	1973	1270.243	0.5	0.064
7			मरवाही	धोबहर	संरक्षित वनभूमि	1976	1022.078	0.5	0.051
8			मरवाही	घुसरिया	संरक्षित वनभूमि	2048	3457.404	0.5	0.173
9			मरवाही	घुसरिया	संरक्षित वनभूमि	2049	905.967	0.5	0.046
10			मरवाही	घुसरिया	संरक्षित वनभूमि	2050	89.29	0.5	0.005
11			मरवाही	बरईहा	संरक्षित वनभूमि	2082	413.994	0.5	0.021
12			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1992	679.58	0.5	0.034
13			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1993	241.866	0.5	0.012
14			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1994	84.455	0.5	0.004
15			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1995	820.541	0.5	0.041
16			मरवाही	बरगवां	संरक्षित वनभूमि	1996	730.144	0.5	0.037
17			मरवाही	बगड़ी	संरक्षित वनभूमि	1960	417.243	0.5	0.021
18			मरवाही	कुम्हारी	संरक्षित वनभूमि	2080	258.595	0.5	0.013
19			मरवाही	मठियाजंड	संरक्षित वनभूमि	2007	1605.257	0.5	0.080
20			मरवाही	महोरा	संरक्षित वनभूमि	2089	729.844	0.5	0.037
21			मरवाही	मरवाही	संरक्षित वनभूमि	2026	315.005	0.5	0.016
22			मरवाही	मरवाही	संरक्षित वनभूमि	2027	1901.561	0.5	0.095
23			मरवाही	मरवाही	संरक्षित वनभूमि	2077	919.782	0.5	0.046
24			मरवाही	झिरियाटोला	संरक्षित वनभूमि	2059	585.779	0.5	0.029

25			मरवाही	झिरियाटोला	संरक्षित वनभूमि	2066	567.829	0.5	0.028
26			मरवाही	सिवनी	संरक्षित वनभूमि	2039	503.592	0.5	0.025
27			मरवाही	पंडरी	संरक्षित वनभूमि	2043	442.378	0.5	0.022
28			मरवाही	पंडरी	संरक्षित वनभूमि	2047	1057.7	0.5	0.052
29			मरवाही	पथरी	संरक्षित वनभूमि	2092	1116.606	0.5	0.055
30			मरवाही	समरदरी	संरक्षित वनभूमि	2004	1015.043	0.5	0.051
31			मरवाही	समरदरी	संरक्षित वनभूमि	2005	2016.642	0.5	0.101
32			मरवाही	साल्हेकोटा	संरक्षित वनभूमि	1990	1807.652	0.5	0.090
33			मरवाही	साल्हेकोटा	संरक्षित वनभूमि	2061	915.288	0.5	0.046
34			मरवाही	डोगरिया	संरक्षित वनभूमि	1961	1275.688	0.5	0.064
35			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2052	597.425	0.5	0.030
36			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2054	533.801	0.5	0.027
37			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2057	108.907	0.5	0.005
38			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2058	233.295	0.5	0.012
39			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2063	1011.68	0.5	0.050
40			मरवाही	चुवाबाहरा	संरक्षित वनभूमि	2067	1127.135	0.5	0.056
41			मरवाही	तौली	संरक्षित वनभूमि	1974	555.051	0.5	0.028
42			मरवाही	गुल्लीडांड	संरक्षित वनभूमि	1987	2148.402	0.5	0.107
43			मरवाही	लटकोनीखुर्द	संरक्षित वनभूमि	1967	231.961	0.5	0.012
44			मरवाही	लटकोनीखुर्द	संरक्षित वनभूमि	1968	284.435	0.5	0.014
योग							36500.755	0.5	1.825
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	गौरेला-पेंडा-मरवाही	मरवाही	मरवाही	बगड़ी	राजस्व वन	254	100.595	0.5	0.005
2			मरवाही	मसुरीखार	राजस्व वन	358/1	116.304	0.5	0.006
3			मरवाही	बगड़ी	राजस्व वन	438	222.522	0.5	0.011
4			मरवाही	दानीकुंडी	राजस्व वन	10/1	1199.215	0.5	0.060
5			मरवाही	मठियाडांड	राजस्व वन	179	83.092	0.5	0.004

6			मरवाही	कुम्हारी	राजस्व वन	212	119.207	0.5	0.006	
7			मरवाही	सेखवा	राजस्व वन	1439/ 1	82.187	0.5	0.004	
8			मरवाही	सिवनी	राजस्व वन	1377	134.254	0.5	0.007	
योग								<b>2057.376</b>	<b>0.5</b>	<b>0.103</b>
कुल योग								<b>38558.131</b>	<b>0.5</b>	<b>1.928</b>



*S.M.*  
परियोजना प्रबन्धक  
भारत नेट, लिमिटेड  
स्टेट डायल सेंटर भवन,  
सिवनी रोड, रायपुर (छ.स.)

*[Signature]*  
प्राधिकृत अधिकारी  
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़

गौरेला-पेंडा-मरवाही जिला के मरवाही वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत आवेदित गैर वन क्षेत्र का विवरण								
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1.	गौरेला-पेंडा-मरवाही	मरवाही	मरवाही	अमेरा टिकरा	गैर वन क्षेत्र	4320.000	0.5	0.216
2.				अन्ली	गैर वन क्षेत्र	11460.000	0.5	0.573
3.				बदसेही	गैर वन क्षेत्र	6620.000	0.5	0.331
4.				बगही	गैर वन क्षेत्र	3280.000	0.5	0.164
5.				बनसीही	गैर वन क्षेत्र	3020.000	0.5	0.151
6.				बशीताल	गैर वन क्षेत्र	2620.000	0.5	0.131
7.				बरोर	गैर वन क्षेत्र	540.000	0.5	0.027
8.				बरगवा	गैर वन क्षेत्र	1480.000	0.5	0.074
9.				बतवत	गैर वन क्षेत्र	740.000	0.5	0.037
10.				बेन-झिरिया	गैर वन क्षेत्र	680.000	0.5	0.034
11.				बेन-झिरिया	गैर वन क्षेत्र	3540.000	0.5	0.177
12.				बना ओगरी	गैर वन क्षेत्र	780.000	0.5	0.039
13.				बगरी	गैर वन क्षेत्र	2220.000	0.5	0.111
14.				बघेडी	गैर वन क्षेत्र	6900.000	0.5	0.345
15.				बिचगोहना	गैर वन क्षेत्र	2140.000	0.5	0.107
16.				बनौरा	गैर वन क्षेत्र	5700.000	0.5	0.285
17.				बनपुर	गैर वन क्षेत्र	3140.000	0.5	0.157
18.				बनहर	गैर वन क्षेत्र	3720.000	0.5	0.186
19.				बोवहर	गैर वन क्षेत्र	7200.000	0.5	0.36
20.				बोगरिया	गैर वन क्षेत्र	3240.000	0.5	0.162
21.				बुमाटोला	गैर वन क्षेत्र	2600.000	0.5	0.13
22.				बुदुमदेवरी	गैर वन क्षेत्र	1420.000	0.5	0.071
23.				बुल्लीडांड	गैर वन क्षेत्र	1160.000	0.5	0.058
24.				करगीकला	गैर वन क्षेत्र	7500.000	0.5	0.375
25.				करहनी	गैर वन क्षेत्र	4740.000	0.5	0.237

गौरेला-पेंडा-मरवाही जिला के मरवाही वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत आवेदित गैर वन क्षेत्र का विवरण								
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1.	गौरेला-पेंडा-मरवाही	मरवाही	मरवाही	अमेरा टिकरा	गैर वन क्षेत्र	4320.000	0.5	0.216
2.				अन्डी	गैर वन क्षेत्र	11460.000	0.5	0.573
3.				बदरोही	गैर वन क्षेत्र	6620.000	0.5	0.331
4.				बगही	गैर वन क्षेत्र	3280.000	0.5	0.164
5.				बनारी	गैर वन क्षेत्र	3020.000	0.5	0.151
6.				बशीतान	गैर वन क्षेत्र	2620.000	0.5	0.131
7.				बलौर	गैर वन क्षेत्र	540.000	0.5	0.027
8.				बरगवा	गैर वन क्षेत्र	1480.000	0.5	0.074
9.				ठलवत	गैर वन क्षेत्र	740.000	0.5	0.037
10.				बेल डिरिया	गैर वन क्षेत्र	680.000	0.5	0.034
11.				बेल डिरिया	गैर वन क्षेत्र	3540.000	0.5	0.177
12.				बना ओगरी	गैर वन क्षेत्र	780.000	0.5	0.039
13.				बगरी	गैर वन क्षेत्र	2220.000	0.5	0.111
14.				बवेडी	गैर वन क्षेत्र	6900.000	0.5	0.345
15.				बिचगोहना	गैर वन क्षेत्र	2140.000	0.5	0.107
16.				ध-गौरा	गैर वन क्षेत्र	5700.000	0.5	0.285
17.				धनपुर	गैर वन क्षेत्र	3140.000	0.5	0.157
18.				धरहर	गैर वन क्षेत्र	3720.000	0.5	0.186
19.				धोवहर	गैर वन क्षेत्र	7200.000	0.5	0.36
20.				डोंगरिया	गैर वन क्षेत्र	3240.000	0.5	0.162
21.				धुम्माटोला	गैर वन क्षेत्र	2600.000	0.5	0.13
22.				धुमुदेवरी	गैर वन क्षेत्र	1420.000	0.5	0.071
23.				धुल्लीडांड	गैर वन क्षेत्र	1160.000	0.5	0.058
24.				करगीकला	गैर वन क्षेत्र	7500.000	0.5	0.375
25.				करहनी	गैर वन क्षेत्र	4740.000	0.5	0.237


26.				करसीवा	गैर वन क्षेत्र	3600.000	0.5	0.18
27.				कटरा	गैर वन क्षेत्र	15540.000	0.5	0.777
28.				खुरपा	गैर वन क्षेत्र	4620.000	0.5	0.231
29.				कुम्हारी	गैर वन क्षेत्र	480.000	0.5	0.024
30.				लरकेनी	गैर वन क्षेत्र	3600.000	0.5	0.18
31.				लटकानीखुर्द	गैर वन क्षेत्र	2900.000	0.5	0.145
32.				लोहारी	गैर वन क्षेत्र	1960.000	0.5	0.098
33.				मडई	गैर वन क्षेत्र	1760.000	0.5	0.088
34.				मड़वाही	गैर वन क्षेत्र	4980.000	0.5	0.249
35.				महोरा	गैर वन क्षेत्र	6320.000	0.5	0.316
36.				मालाडांड	गैर वन क्षेत्र	2560.000	0.5	0.128
37.				मरवाही	गैर वन क्षेत्र	20820.000	0.5	1.041
38.				मटियाडांड	गैर वन क्षेत्र	1260.000	0.5	0.063
39.				नगवाही	गैर वन क्षेत्र	1740.000	0.5	0.087
40.				नाका	गैर वन क्षेत्र	7780.000	0.5	0.389
41.				निमधा	गैर वन क्षेत्र	2700.000	0.5	0.135
42.				पंडरी	गैर वन क्षेत्र	3520.000	0.5	0.176
43.				परासी	गैर वन क्षेत्र	9080.000	0.5	0.454
44.				पथर्रा	गैर वन क्षेत्र	3640.000	0.5	0.182
45.				पथर्री	गैर वन क्षेत्र	3140.000	0.5	0.157
46.				रटगा	गैर वन क्षेत्र	4080.000	0.5	0.204
47.				रुमगा	गैर वन क्षेत्र	2760.000	0.5	0.138
48.				सचराटोला	गैर वन क्षेत्र	10680.000	0.5	0.534
49.				साल्हेकोटा	गैर वन क्षेत्र	1240.000	0.5	0.062
50.				सेखवा	गैर वन क्षेत्र	3820.000	0.5	0.191
51.				सेमरदर्री	गैर वन क्षेत्र	840.000	0.5	0.042
52.				सिवनी	गैर वन क्षेत्र	2100.000	0.5	0.105
53.				सिलपहरी	गैर वन क्षेत्र	2140.000	0.5	0.107

54.				तेदुमुडा	गैर वन क्षेत्र	4900.000	0.5	0.245
55.				तिखटी	गैर वन क्षेत्र	2680.000	0.5	0.134
56.				उषाढ	गैर वन क्षेत्र	2360.000	0.5	0.118
योग						230360.000	0.5	11.518

परिचालक  
भारत नेट, चिप्स  
स्टेट जूटा सेंटर ब्लॉक,  
सिविल हाईवे, रायपुर (छ.ग.)

प्राधिकृत अधिकारी  
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)  
इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़



**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव**  
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)  
भाग - 2  
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

l.	परियोजना /स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" मरवाही वनमण्डल
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	बिलासपुर
(iii)	वन प्रभाग	मरवाही
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रा (हेक्टेयर)	1.928 हेक्टेयर
(v)	वन कानूनी स्थिति	
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की सम्भावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्रा का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्रा में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्व/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्रा में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।

2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं हैं।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 ,गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2307.39 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	848.913 वर्ग किलो मीटर

	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	प्रकरण 25 हेक्टर 863.489
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेतर भूमि पर	हेक्टर
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेतर भूमि पर।	हेक्टर हेक्टर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	अज्ञेय

हस्ताक्षर

*M. C. S.*  
Divisional Forest Officer  
Marwahi Division Pendra Road,  
सरकारी मोहर

दिनांक :- 17.5.2020  
स्थान :- मरवाही (भाद्रपुर)

## प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर  
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत बिलासपुर जिला के मरवाही वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत मरवाही ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु			
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (विप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़			
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	1.928 हेक्टेयर			
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल	
		बिलासपुर	मरवाही	मरवाही ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायत	
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण				
	क. संरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कृषि क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		मरवाही	धोबहर	1973	0.064
		मरवाही	तौली	1974	0.017
		मरवाही	धोबहर	1976	0.051
		मरवाही	डोगरिया	1961	0.064
		मरवाही	बगड़ी	1960	0.021
		मरवाही	तौली	1974	0.011
		मरवाही	झिरियाटोला	2059	0.029
		मरवाही	घुसरिया	2049	0.014
		मरवाही	घुसरिया	2050	0.005
		मरवाही	धोबहर	1971	0.011
		मरवाही	लटकोनीखुर्द	1967	0.012
		मरवाही	बरगवां	1995	0.041

	मरवाही	बरगवां	1996	0.037
	मरवाही	बरगवां	1993	0.012
	मरवाही	बरगवां	1994	0.004
	मरवाही	लटकोनीखुर्द	1968	0.014
	मरवाही	चुवाबाहरा	2067	0.056
	मरवाही	ऐटी	1984	0.019
	मरवाही	झिरियाटोला	2066	0.028
	मरवाही	ऐटी	2062	0.012
	मरवाही	ऐटी	1985	0.041
	मरवाही	ऐटी	2024	0.042
	मरवाही	चुवाबाहरा	2057	0.005
	मरवाही	मरवाही	2026	0.016
	मरवाही	पथरी	2092	0.055
	मरवाही	चुवाबाहरा	2063	0.037
	मरवाही	सिवनी	2039	0.025
	मरवाही	कुम्हारी	2080	0.013
	मरवाही	मरवाही	2077	0.046
	मरवाही	बरईहा	2082	0.021
	मरवाही	मरवाही	2027	0.095
	मरवाही	महोरा	2089	0.037
	मरवाही	समरदरी	2005	0.101
	मरवाही	समरदरी	2004	0.051
	मरवाही	पंडरी	2043	0.022
	मरवाही	बरगवां	1992	0.034
	मरवाही	साल्हेकोटा	1990	0.090
	मरवाही	साल्हेकोटा	1987	0.065
	मरवाही	गुल्लीडांड	1987	0.042
	मरवाही	चुवाबाहरा	2058	0.012
	मरवाही	मठियाडांड	2007	0.080

		मरवाही	सांल्हेकोटा	2061	0.046
		मरवाही	चवेडी	2049	0.032
		मरवाही	चुवावाहरा	2052	0.030
		मरवाही	चुवावाहरा	2054	0.027
		मरवाही	चुवावाहरा	2063	0.013
		मरवाही	घुसरिया	2048	0.146
		मरवाही	पंडरी	2047	0.052
		मरवाही	घुसरिया	2048	0.027
		योग			1.825
	ख. राजस्व वन क्षेत्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		मरवाही	बगडी	254	0.005
		मरवाही	मसुरीखार	358/1	0.006
		मरवाही	बगडी	438	0.011
		मरवाही	दानीकुंडी	10/1	0.060
		मरवाही	मठियाडांड	179	0.004
		मरवाही	कुम्हारी	212	0.006
		मरवाही	सेखवा	1439/1	0.004
		मरवाही	सिवनी	1377	0.007
		योग			0.103
	कुल योग :-				1.928 हेक्टर
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	0.4-0.6			
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।			
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	21/11/21			
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं है।			


10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारापूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	मागों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	निरंक

प्रमाण - पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल: बिलासपुर जिला के मरवाही वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत मरवाही ब्लॉक  
जिला - बिलासपुर छत्तीसगढ़

दिनांक : 17.05.2020

  
 वनमण्डलाधिकारी,  
 मरवाही वनमण्डल,  
 जिला-बिलासपुर, (छत्तीसगढ़).

S2 कृ कऽर किया गया <sup>अ</sup>